# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./15A/2016/जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।
जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.अरजनदान पुत्र तेजदान
2.रासिंगदान पुत्र तेजदान
3.चंदनदान पुत्र तेजदान जाति चारण
निवासी भेलाणी तहसील फतेहगढ जिला
जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 05/2012 बनवान अरजनदास वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2014 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांकः— 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सांगड़ के खसरा संख्या 513/712 रकबा 100 बीघा, में से रकबा 40 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 16.10.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की समरी बंदोबस्त के 20 हल साढीकड़ खेत खसरा संख्या 108 रकबा 115 बीघा ग्राम भैलाणी तहसील फतेहगढ में आये है। जिसका समरी बंदोबस्त के दौरान खातेदारी अंकन वादी संख्या 01 ता 03 के पिता स्व0 तेजदान पुत्र बुलीदान के नाम पर होकर पर्चा लगान जारी हुआ। स्व0 तेजदान अपनी जीवन पर्यन्त तक काबिज होकर काश्त करते रहे। मौजूदा भू–प्रबंध के दौरान रेस्पोडेंट के नाम समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 108 रकबा 115 बीघा के विरूद्ध खसरा संख्या 447 रकबा 75 बीघा ही कायम कर खातेदारी अंकन कर दिया व अंतर के रकबे का खसरा संख्या 513/712 कायम कर सिवायचक दर्ज कर सरकारी खाते में मिला दिया। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि तुलनात्मक पंजिका (प्रदर्श–1) ग्राम **भेलाणी** के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता तेजदान पुत्र बलीदान के नाम एकमात्र समरी खसरा संख्या 108(डोली) रकबा 115 बीघा से वर्तमान में **एकमात्र खसरा संख्या 447 रकबा 75 बीघा** बनकर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ (प्रदर्श–11)। समरी बंदोबस्त की भूमि अंदाजिया(सरसरी) थी इसलिए वक्त स्थाई बंदोबस्त उस खसरे का वास्तविक माप होकर पर्चा लगान मे अनुसार रकबा खातेदारी में दर्ज किया। **समरी के उक्त खसरे से अन्य कोई खसरा वर्तमान बंदोबस्त में कायम नहीं हुआ इसलिए इससे पृथक किसी अन्य खसरा संख्या पर की भूमि पर रेस्पोडेंट/वादीगण दावा लाने के अधिकारी ही नहीं है। समरी के आधार पर दावाकृत भूमि ग्राम भेलाणी की बजाय ग्राम सांगड़ में स्थित है** इसलिए भी दावा लाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है। दावा मनगढंत है। नकल नक्शा ट्रेश (प्रदर्श–14) भी स्पष्ट नहीं करता है कि खातेदारी खेत खसरा संख्या 447 सांगड़ के दावाकृत खेत के सन्निकट(Adjoining) है। **इस दावाकृत खसरे का रकबा भी दावाकृत रकबे से सर्वथा भिन्न होकर बहुत अधिक है।** इन खसरों का कोई साम्य नहीं है। खसरा परवर्तनशील (प्रदर्श–15 एवं प्रदर्श–22 से 27) के अनुसार संवत 2045, 2047, 2048, 2051, 2053, 2062 में दावाकृत खसरे में **मात्र एक वादी संख्या 02 रासिंगदान का अतिक्रमण में कब्जा प्रथमवर्ष अधिकतम 20 बीघा पर रहा है। तत्पश्चात दावाकृत भूमि पर किसी वादीगण/रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है।** बिना कब्जा काश्त के खातेदारी अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। ग्राम सांगड़ का दावाकृत खसरा संख्या 513/712 भी अनन्य रूप से साबित हो पाया है कि वह ग्राम भेलाणी के समरी के खसरा संख्या 108 से ही सृजित हुआ है। प्रतिवादी/अपीलांट सरकार के गवाह पटवारी लेखदान के बयानों पर भी गौर नहीं हुआ है। इसमें इस दावे के बाबत कोई सारभूत कथन नहीं है। बिना पुष्ट प्रमाणों के रेस्पोडेंट/वादीगण का दावाकृत भूमि पर दावे का कोई आधार नहीं है न ही उसका दावाकृत भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त ही सिद्ध है लिहाजा अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 05/2012 बनवान अरजनदास वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2014 को अपास्त किया जाता है।

18/7/19

(नखतदास धारहा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner